फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्रीमती तुलसी जाट **विपक्षी :– राज्य**

किस्म मुकदमा – 136 भू राजस्व अधिनियम **पत्रावली संख्या : 139/25**

जीसीएमएस : 2025/487

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 28.08.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजपेरोकार उपस्थित। विपक्षीगण के समन पर रिपोर्ट की गई है कि घर पर नही मिलने से नोटिस की परत घर पर चस्पा की गई। विपक्षी संख्या 2, 3 को निरन्तर आवाजे दिलवाई गई। विपक्षी संख्या 2, 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल फाईल है। तहसीलदार घासा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया गया की ग्राम भानसोल के नामान्तरकरण संख्या 212 किता 09 रकबा 19 बिघा 18 बिस्वा विरासत से सका पिता नवला जाति जाट से दोला मांग पिता सका जाट के नाम नामान्तरण स्वीकृत होने से जमाबन्दी सवंत् 2032–35 में दाखिला लगाया गया था। ग्राम भानसोल के नामा. संख्या 237 किता 09 रकबा 19 बिघा 18 बिस्वा. विरासत से सका पिता नवला जाट से दोला, मांगु, तुलसी, शंकरी, प्रेमा, कमला पिता सका जाट के नाम नामान्तरण दर्ज हुआ। इस नामान्तरण पर नोट लगा हुआ है, इन्तकाल नम्बर 212 पर पूर्व में मंजुरी होने से अमल नहीं किया। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ग्राम भानसोल के नामा. संख्या 212 से सका पिता नवला जाट की मृत्यु होने से विरासत का नामान्तरण दोला और मांगु के नाम दर्ज हुआ। इसी खातेदार का इसी भूमि का विरासत का नामान्तरण 237 दर्ज होकर दोला, मांगु, तुलसी, शंकरी, प्रेमा, कमला के नाम नामान्तरण स्वीकृत हुआ। पूर्व में नामा. संख्या 212 स्वीकृत होने से नामा. संख्या 237 का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं किया गया। वर्तमान जमाबन्दी ग्राम भानसोल खाता संख्या 128 अनुसार किता 08 रकबा 1. 5134 हैक्टेयर दोला पुत्र सखा हिस्सा 1/2, मांगु पुत्र सखा हिस्सा 1/2 जाति जाट के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस का निवेदन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं राजपैरोकार की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। बहस पर मनन किया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि ग्राम भानसोल के नामान्तरकरण संख्या 212 किता 09 रकबा 19 बिघा 18 बिस्वा विरासत से सका पिता नवला जाति जाट से दोला मांगु पिता सका जाट के नाम नामान्तरण स्वीकृत होने से जमाबन्दी सवंत् 2032–35 में दाखिला लगाया गया था। तत्काल बाद ग्राम भानसोल के नामा. संख्या 237 किता 09 रकबा 19 बिघा 18 बिस्वा. विरासत से सका पिता नवला जाट से दोला, मांगु, तुलसी, शंकरी, प्रेमा, कमला पिता सका जाट के नाम नामान्तरण दर्ज हुआ। वर्तमान जमाबन्दी ग्राम भानसोल खाता संख्या 128 अनुसार किता 08 रकबा 1.5134 हैक्टेयर दोला पुत्र सखा हिस्सा 1/2, मांगु पुत्र सखा हिस्सा 1/2 जाति जाट के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम भानसोल की नकल जमाबन्दी सवंत् 2080 के खाता संख्या 302 पर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadja
Date: 2025.09.17 18:29:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का नाम दर्ज है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के पिता सका पिता नवला के नाम दर्ज थी। नामान्तरकरण संख्या 212 पारित होने के पश्चात राजस्व कर्मचारियों को नामान्तरकरण संख्या 237 पारित नही करना चाहिए था। नामान्तरकरण संख्या 212 की अपील करनी चाहिए थी। परन्तु नामान्तकरण संख्या 237 एवं अन्य खाते में दर्ज नाम से यह साबित हो चुका है कि प्रार्थीगण भी सका पिता नवला के वारिस है। सका पिता नवला के निधन के पश्चात हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत सका पिता नवला के प्रथम श्रेणी के वारिस के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। चुंकि वर्तमान में नामान्तरकरण संख्या 237 पारित हो चुका है जिसमें सका पिता नवला के सभी वारिसान का नाम दर्ज है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरकरण संख्या 237 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करना न्यायोचित पाया जाता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार घासा को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम भानसोल के नामान्तरकरण संख्या 237 अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:29:12 IST
Reason: SelfAttested